

Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)



1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur(C.G.) – 492006

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn. No. 22AABCM6288N5ZY

Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

द्वितीय आमंत्रण, अल्पकालीन निविदा सूचना (मैन्युअल पद्धति)

रायपुर, दिनांक 08/02/2023

निविदा क्रमांक 39 /सीएसआईडीसी/ई.ई.-1 /संभाग-1/2022-23/

मुहरबंद निविदाये फार्म 'ब' (आईटम दर) वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत द एवं इससे ऊपर पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 24/02/2023 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नं-01 तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपरित्त निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समस्त खोली जावेगी।

सं. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	निविदा का प्रकार	वैध बैंक सालवैरी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	बिलासपुर संभाग-01 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र सिर्पिंटटी, तिपरा, अजनी औड़ोरोड, कापन, जाजीरी-चामा, औद्योगिक सञ्चालन कोरबा, गंगापुरखुर्द-अभियाकपुर एवं नयनपुर-गिरवरगंज में जल प्रदाय हेतु वार्षिक रख-रखाव पथा डी.आई.पाइप लाइन सबमर्सिवल मोटर पप्प स्टॉटर इत्यादि का रख-रखाव का कार्य।	16.13 लाख	13,000/-	885/-	12 माह वर्षांत्रकृत सहित	द वर्ग एवं इससे ऊपर	आईटम दर	2.70 लाख	S.O.R. for Unified Schedule of Rate for water supply, sewerage & Allied Works w.e.f. 01/06/2020 issued by Engineer-in-Chief PHE Deptt., Raipur (C.G.) & market Rate

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 23/02/2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक तकनीकी कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।
 - (2) उपरोक्त कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
 - (3) निविदा आवेदन क्रय करने हेतु जीवित पंजीयन, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, अंतिम 03 वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, बैंक सालवैरी की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (4) निविदा स्वीकृत उपरांत सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यालय दिया जाएगा, साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (शेष) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी एवं सर्विस टैक्स लागू होने पर तदानुसार कटौती की जावेगी।
 - (5) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रख्सी (FDR) जौ कि, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर (Managing Director, CSIDC, Raipur) के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिकाफ़े में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - (6) कार्य में स्थल आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात रिपोर्टिंग कार्य सम्पादन किया जाना होगा, जिसके मात्रा में वृद्धि/कमी हो सकता है।
 - (7) कार्य में स्थल आवश्यकतानुसार नया सामग्री उपयोग में होने पर उक्त सामग्री का एस.ओ.आर./बाजार दर से निर्धारित पृथक से किया जाकर भुगतान देय होगा।
 - (8) कार्यालय आयुक्त, राज्य कर छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक भवन, कैपिटल काप्पलेक्स, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर19 नवा रायपुर अटल नगर का महत्वपूर्ण निर्देश क्र. 95/2020 पत्र क्र. आ.वाक. / तक/ 2020/7754 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 02.12.2020 के आदेशानुसार निर्देश निम्नानुसार है:-
 - I. ठेकेदार/संस्थायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जीएसटी विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्व देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
 - II. यदि किसी भी ठेकेदार/वर्तमान में टिकियाशील सलाई आर्डर/वर्क कॉन्ट्रैक्ट की निविदा में उपरोक्त शर्त नहीं थी, इसलिए One Time सत्यापन किया जाना उचित होगा कि जिस जी0 एस0 टी0 पंजीयन पर TDS कट रहा है वो जीवित है अथवा नहीं। यह सत्यापन निकटस्थ जी0 एस0 टी0 वृत्त कार्यालय से कराया जा सकता है। साथ ही अंतिम भुगतान या धोरोहर राशि की विमुक्ति के पूर्व, देय कर का शासकीय कोष में जमा कराए जाने का सत्यापन कराया जाना भी उचित होगा।
- (9) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छ.ग. द्वारा जारी आदेश क्र. 2336/खनिज/शाखा/20 दिनांक 04.03.2020 के तहत शासन के निर्देशानुसार विना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के अंतिम भुगतान किसी भी ठेकेदार का अंतिम देयक का अंतिम भुगतान न किया जावे जिससे शासन को राजस्व की हानि न हो, तदानुसार विना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के अंतिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (10) Valid registration of GST and Proof of upto date filed return for Last two months from date of NIT.
- (11) All the document to be submitted shall be duly clear readable otherwise tender will not be accepted.
- (12) निविदा निगम (संभाग-01) की निविदा पेटी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (13) निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रै होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।
- (14) निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (15) निविदा के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-01 सीएसआईडीसी, द्वितीय तल, उद्योग भवन रिंग रोड क्र. -1 तेलीबांधा रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- (16) कोई भी या सभी निविदायें स्त्रीकृत/अस्त्रीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-1